

552



Through e-mail

From,

Manjeet Singh Sheoran, HJS
Registrar General
High Court of Judicature at,
Allahabad

To,

All the District and Sessions Judges/OSD
All the Principal Judges, Family Courts
All the Presiding Officers of Commercial Courts, MACTs & LARRAs
State of Uttar Pradesh

No. 6193 Admin G-II/Allahabad

Dated 1/5/2026

Sub: Regarding the determination of Format-1 under sub-rule-8 of Rule-6 under the Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024.

Madam/Sir,

With reference to the above cited subject, I am to inform you that the manner of filing an application before the competent authority and the application process have been laid down under Rule 6 of the Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024. The sub-rule 8 of the said Rule provides that the application under the Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024 shall be submitted in Form- 1 (enclosed herewith).

In this regard, I am directed by Hon'ble Court to send PDF copies of the Office Memorandum No. U.O.-46/6:-Pu-9-2025/1824018 dated 07.04.2026 of the Additional Chief Secretary, Home (Police) Section-9, Government of Uttar Pradesh, Lucknow along with Form-1 (in both Hindi and English) of the Witness Protection Application under Rule 6(8) of the Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2024 to your gooself with request to communicate the same to all the Judicial Officers of your judgeships for their information and necessary action.

With Regards,

Encl:- As above

Yours faithfully,

M 30.4.26
Registrar General

No. Admin G-II/Allahabad

Dated / /2026

Copy forwarded to the Director, Judicial Training & Research Institute, Lucknow for information.

Seen. Circulate amongst all the Judicial Officers for information and necessary action. Upload this letter on District Court's website also.

DJKS
01/5/26

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या- यू०ओ०-46/छ:-पु०-9-2025/1824018
लखनऊ, दिनांक 07 मार्च 2026

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 के अन्तर्गत नियम-6 के उप नियम-8 के अन्तर्गत प्रारूप-1 अभিনিर्धारित किये जाने के संबंध में।

उल्लेखनीय है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या-46 सन्, 2023) की धारा-398 तथा साधारण खण्ड अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897 की धारा-21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा आपराधिक विधि प्रवर्तन और अभियोजन अधिकरणों को सहायता प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को सुरक्षा को सुगम बनाकर विधि प्रवर्तन को बढावा देने तथा अपराध के साक्षियों के लिए भय मुक्त वातावरण बनाने और पक्षद्रोहिता की समस्या के निवारण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 गृह (पुलिस) अनुभाग-9 की अधिसूचना संख्या-1537/छ-पु०-9-2024 दिनांक 30.06.2024 के माध्यम से बनायी गयी है।

2. उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 के नियम-6 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल करने तथा आवेदन प्रक्रिया के ढंग अभिनिर्धारित किये गये हैं। उक्त नियम के उपनियम-8 में यह प्राविधान है कि उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 का आवेदन प्रपत्र संख्या-1 के रूप में प्रस्तुत किया जायेगा।

3. समुचित विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2024 के अन्तर्गत नियम-6 के उप नियम-8 के अन्तर्गत प्रारूप-1 (अंग्रेजी आलेख्य सहित) निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया जाता है:-

उत्तर प्रदेश साक्षी संरक्षण योजना, 2026

फॉर्म-1

साक्षी संरक्षण आवेदन

(अन्तर्गत नियम-6(8))

समक्ष,

.....
.....

(दो प्रतियों में भरा जाना है)

सक्षम प्राधिकरण,
जिला

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

आवेदन हेतु:

1. साक्षी संरक्षण
2. साक्षी पहचान सुरक्षा
3. नई पहचान
4. साक्षियों का स्थानांतरण

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

1. साक्षी का विवरण (बड़े अक्षरों में भरें):	
1) नाम	
2) आयु	
3) लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	
4) पिता/माता का नाम	
5) आवासीय पता	
6) साक्षी के परिवार के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण जिन्हें धमकियां मिल रही हैं या जो धमकियां अनुभव कर रहे हैं	
7) संपर्क विवरण (मोबाइल/ई-मेल)	
8) आपातकालीन संपर्क नंबर	
2. आपराधिक मामले का विवरण:	
1) एफ.आई.आर. नं०	
2) अन्तर्गत धारा	
3) पुलिस स्टेशन	
4) जिला	
5) डी.डी. नं० (यदि एफ.आई.आर. अभी तक दर्ज नहीं हुई है)	
6) सी.आर. केस संख्या (निजी शिकायत के मामले में)	
3. अभियुक्त का विवरण (यदि उपलब्ध/ज्ञात हो):	

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

1) नाम	
2) पता	
3) फोन नं०	
4) ई-मेल आईडी	
4. धमकी देने वाले/दने का संदेह करने वाले व्यक्ति का नाम व अन्य विवरण	
5. धमकी की प्रकृति, कृपया मामले में प्राप्त धमकी का संक्षिप्त विवरण दें, साथ ही विशिष्ट तिथि, स्थान, तरीका और प्रयुक्त शब्द भी बताएं।	
6. यथावश्यकता, अंतरिम/तत्काल साक्षी सुरक्षा आवश्यकताओं का विवरण	

आवेदक/ साक्षी अतिरिक्त जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शीट का उपयोग कर सकते हैं।

(पूरा नाम हस्ताक्षर सहित)

दिनांक.....

स्थान:

वचन

1. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी तथा राज्य के गृह विभाग और गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ पूर्ण सहयोग करूँगा/ करूँगी।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. मैं समझता/समझती हूँ कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो योजना के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी को गवाह संरक्षण निधि से मुद्दा पर हुए व्यय की वसूली करने का अधिकार है।

(पूरा नाम हस्ताक्षर सहित)

दिनांक.....

स्थान:

Uttar Pradesh Witness Protection Scheme, 2026

Form-1

Witness Protection Application

(Under Rule 6(8))

Before.

.....

.....

(To be filled in duplicate)

Competent Authority,

District

To apply:

1. Witness protection

2. Witness identity protection

3. New identity

4. Transfer of witnesses

1.	Witness Details (fill in block letters):	
	1) Name	
	2) Age	
	3) Gender (Male/Female/Other)	
	4) Father/Mother's Name	
	5) Residential address	
	6) Name and other details of the family members of the witness who are receiving or experiencing threats	
	7) Contact details (mobile/e-mail)	
	8) Emergency contact number	
2.	Details of the criminal case:	
	1) FIR No.	
	2) Under Section	
	3) Police Station	
	4) District	
	5) D.D. No. (if FIR is not lodged yet)	
	6) CR Case Number (in case of private complaint)	
3.	Details of the accused (if available/known):	
	1) Name	

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

2) Address	
3) Phone No.	
4) email id	
4. Name and other details of the person making/suspected of making the threat	
5. Nature of threat. Please give a brief description of the threat received in the case, along with the specific date, place, manner and words used.	
6. Details of interim/urgent witness protection requirements, as required	

The applicant/witness can use the additional sheet to provide additional information.

(Full name with signature)

Date.....

place:

UNDERTAKING

1. I undertake that I will fully cooperate with the competent authority, State Home Department and Witness Protection Cell.
2. I certify that the information given by me in this application is true and correct to the best of my knowledge and belief.
3. I understand that if the information given by me in this application is found to be incorrect, the competent authority under the Scheme has the right to recover the expenses incurred from me from the Witness Protection Fund.

(Full name with signature)

Date.....

Place:

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 07-04-2026
16:37:17

(संजय प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव